भारिबैं/डीओआर/2025-26/282

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.201/21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय । – प्रारंभिक 2

भाग ए- ऋण एक्सपोज़र का अंतरण 3

अध्याय ।- व्यापकता और परिभाषाएं 3

अध्याय ॥ – सभी ऋण अंतरण के लिए लागू सामान्य शर्तें 7

अध्याय ।॥ – दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण 11

भाग बी - अन्य प्रकार के उधार और जोखिम अंतरण की व्यवस्था 19

अध्याय । – संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाएं के तहत ऋण 19

भाग सी: निरसन और बचत 20

अनुबंध । 22

अनुबंध ॥ 25

अनुबंध ।॥ 32

परिचय

ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण कई कारणों से किया जाता है, जिनमें चलनिधि प्रबंधन से लेकर एक्सपोज़र का पुनर्संतुलन अथवा रणनीतिक बिक्री शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण एक्सपोजरों के अंतरण, संघीय व्यवस्थाओं और अन्य पर निदेशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से इसके विकास की दिशा में कई कदम उठा रहा है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने ऋण जोखिम अंतरण और वितरण के विभिन्न तरीकों को शामिल करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों का एक व्यापक और स्व-निहित फ्रेमवर्क जारी करता है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 35ए और 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश शहरी सहकारी बैंकों (जिसे आगे से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे। इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीवी) के तहत परिभाषित प्राथमिक सहकारी बैंक से होगा।

सी. परिभाषाएं

4. इस निदेश के संबंधित भागों में शर्तों को परिभाषित किया गया है।
5. अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जब तक कि संबंधित भागों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा किसी अन्य सुसंगत विनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।

भाग ए - ऋण एक्सपोज़र का अंतरण

6. ऋण अंतरण एक ऋण जोखिम बाजार के विकास के लिए आवश्यक है, जो बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के विविधीकरण को सक्षम करता है और निवेशकों के एक विविध समूह के लिए बाजार-आधारित ऋण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिनके पास आनुपातिक क्षमता और जोखिम उठाने की क्षमता है।

अध्याय I - व्यापकता और परिभाषाएं

ए. प्रयोज्यता और उद्देश्य

7. बैंक केवल पैरा 12 (4) में ऋणदाता के रूप में विनिर्दिष्ट अंतरणकर्ता से ऋण प्राप्त करेंगे जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न हो।

8. यूसीबी को इन निदेशों के अध्याय III के भाग ए के तहत दबावग्रस्त ऋणों के केवल अंतरणकर्ता(ओं) के रूप में अनुमति दी जाती है और किसी भी अन्य प्रकार के ऋण अंतरण में अंतरणकर्ता अथवा अंतरणकर्ता (ओं) के रूप में अनुमति नहीं है।

9. कोई भी बैंक इस निदेश के भाग ए के तहत अनुमत ऋण अंतरण अथवा अधिग्रहण के अतिरिक्त और उसमें निर्धारित तरीके से कोई ऋण अंतरण अथवा अधिग्रहण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त प्रावधान 26 मार्च, 2019 के मास्टर निदेश - बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएं के प्रावधानों पर प्रति प्रभाव के बिना होगा; गारंटी प्राप्त करना; अथवा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए उत्पाद।

10. भाग ए के निदेश बैंक द्वारा किए गए सभी ऋण अंतरणों पर लागू होंगे, जिसमें नवीकरण अथवा समनुदेशन के माध्यम से ऋण का अंतरण शामिल है।

बशर्ते कि ऋण भागीदारी के अतिरिक्त अन्य ऋण अंतरण के मामलों में, ऋण का विधिक स्वामित्व अनिवार्य रूप से अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक अंतरिती (ओं) को अंतरित किया जाएगा।

11. यह निदेश केवल ऋण अंतरण में अंतरणकर्ता के रूप में बैंकों पर लागू होंगे, जब तक कि विशिष्ट अनुमतियों के अनुसार अंतरिती के रूप में संस्थाओं की अन्य श्रेणियों पर विशेष रूप से लागू न हों ।

बी.परिभाषाएं

12. इन निदेशों के भाग ए के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(1) "ऋण वृद्धि" का अर्थ है एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें एक इकाई किसी लेन-देन के लिए अन्य पक्षों को कुछ हद तक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है ताकि उनके अधिग्रहित एक्सपोज़र के क्रेडिट जोखिम को कम किया जा सके;

(2) "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना (जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है) जब ऋण का पूरा अथवा कोई भाग अथवा किस्त देय और देय हो गई है और देनदार अथवा कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो;

बशर्ते कि नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, चूक का अर्थ यह भी होगा कि उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा से अधिक अथवा आहरण शक्ति, जो भी कम हो, 30 दिनों से अधिक समय तक लगातार शेष रहेगी।

(3) "आर्थिक हित" उन जोखिमों और पुरस्कारों को संदर्भित करता है जो जीवन में ऋण एक्सपोज़र के माध्यम से ऋण एक्सपोज़र से उत्पन्न हो सकते हैं;

(4) "ऋणदाताओं" में निम्नलिखित संस्थाओं का समूह शामिल होगा,

अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; स्थानीय क्षेत्र के बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक,सिडबी और एनएबीएफआईडी); लघु वित्त बैंक; आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)।

बशर्ते कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; स्थानीय क्षेत्र के बैंक; और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केंद्रीय सहकारी बैंकों को इन निदेशों के भाग ए के अध्याय III के तहत केवल ऋण अंतरणकर्ता के रूप में अनुमति दी गई है और किसी अन्य प्रकार के ऋण अंतरण में अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती के रूप में अनुमति नहीं है।

(5) "निवल बही मूल्य(एनबीवी)" का अर्थ है ऋण एक्सपोज़र की वित्त पोषित बकाया राशि जो की ऐसे एक्सपोज़र पर बनाए हुए विशिष्ट प्रावधानों से कम किए गए हो ;

(6) "अनुमत अंतरिती" का अर्थ नीचे विनिर्दिष्ट ऋणदाताओं से है:

अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएबीएफआईडी), लघु वित्त बैंक; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)।

(7) "वैयक्तिक ऋण" ऋण *एक्सपोज़र* को संदर्भित करता है जैसा कि भारिबैं के दिनांक 4 जनवरी 2018 के परिपत्र डीबीआर संख्या बी.पी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 में परिभाषित किया गया है।

स्पष्टीकरण: एक ऋण को वैयक्तिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आता है, चाहे ऐसे ऋणों को किसी भी विनियामक/पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया हो।

(8) "संविभाग" का अर्थ है एक ही अंतरण समझौते के तहत एक समय में एक साथ अंतरित ऋण एक्सपोज़र का एक सेट;

बशर्ते कि अंतरण समझौते जिसके तहत ऋण एक संविभाग के रूप में अंतरित किए जाते हैं, व्यक्तिगत ऋण एक्सपोज़र के विवरण को सूचीबद्ध करेंगे जो एक संविभाग के रूप में अंतरित किए जाते हैं।

(9) "दबावग्रस्त ऋण" का अर्थ है ऋण एक्सपोज़र जिन्हें अनर्जक आस्ति(एनपीए) अथवा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(10)"अंतरण का समय" का अर्थ है वह बिंदु जिस पर अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक संबंधित जोखिम और प्रतिफल, जैसा कि समनुदेशन, अथवा नवीनीकरण अनुबंध में प्रलेखित है, अंतरणकर्ता और अंतरिती पर बाध्यकारी हो जाते हैं।

(11)"अंतरण" का अर्थ है अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती (ओं) को ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित का अंतरण, अंतर्निहित ऋण अनुबंध के अंतरण के साथ अथवा बिना, इन निदेशों के भाग ए में अनुमत तरीके से;

स्पष्टीकरण: परिणामत:, *अंतरिती (ओं)* को ऋण अंतरण के बाद ऋण एक्सपोज़र "अधिग्रहण" करना होगा।

(12)"अंतरिती" का अर्थ है वह इकाई जिसमें ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित इन निदेशों के भाग ए के तहत अंतरित किया जाता है;

बशर्ते कि एक अंतरिती दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के संदर्भ में अयोग्य व्यक्ति नहीं होगा;

बशर्ते कि जिन उधारकर्ताओं के खातों में किसी ऋणदाता द्वारा धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया गया है, उनके ऋण एक्सपोज़र के अंतरण के मामले में, अंतरिती (ओं) न तो ऐसे उधारकर्ता के मौजूदा

प्रवर्तक समूह से संबंधित होंगे और न ही ऐसे उधारकर्ता के मौजूदा प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी भी व्यक्ति की सहायक / सहयोगी / संबंधित पार्टी आदि (घरेलू और विदेशी) होंगे।

स्पष्टीकरण I: बाजार की भाषा में, अंतरिती को वैकल्पिक रूप से समनुदेशन लेनदेन के तहत समनुदेशिती के तहत भागीदार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जहां भी लागू हो।

स्पष्टीकरण II: उपरोक्त दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, 'प्रवर्तक समूह' शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 में है; और 'संबंधित पार्टी' शब्द का वही अर्थ होगा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में है।

स्पष्टीकरण III: यह सत्यापित करने और स्थापित करने की जिम्मेदारी कि अंतरिती (ओं) उपरोक्त परंतुकों का अनुपालन करते हैं, अंतरणकर्ता (ओं) के पास होगी।

(13) "अंतरणकर्ता" का अर्थ है वह इकाई जो इन निदेशों के तहत ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित को अंतरित करती है;

स्पष्टीकरण: बाजार की भाषा में, अंतरणकर्ता को वैकल्पिक रूप से समनुदेशन लेनदेन के तहत समनुदेशक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जहां भी लागू हो

अध्याय II- सभी ऋण अंतरण के लिए लागू सामान्य शर्तें

सामान्य अपेक्षाएं

13. बैंक इन दिशानिर्देशों के तहत ऋण एक्सपोज़र के अंतरण और अधिग्रहण के लिए एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करेगा। इन दिशा-निर्देशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* समुचित सावधानी, मूल्यांकन, आंकड़ों के संग्रह, भंडारण और प्रबंधन के लिए अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां, जोखिम प्रबंधन, आवधिक बोर्ड स्तर की निगरानी आदि से संबंधित न्यूनतम मात्रात्मक और गुणात्मक मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।इसके अतिरिक्त, नीति को ऋण शुरू करने में शामिल कर्मियों से ऋण के अंतरण/अधिग्रहण में शामिल इकाइयों और कर्मियों के कामकाज और रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी लेनदेन को नीति में विस्तृत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
14. ऋण अंतरण के परिणामस्वरूप ऋण अनुबंध के अंतर्निहित नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बिना आर्थिक हित का अंतरण होना चाहिए। सभी मामलों में, यदि अंतरण के दौरान और बाद में ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन होता है (उदाहरण के लिए अंतरण

वित्तपोषण में), तो जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान), निदेश, 2025 मे परिभाषित है, पुनर्संरचना के विरूद्ध इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

15. पैरा 12 (4) में संदर्भित ऋणदाताओं, भले ही वह अंतरणकर्ता हों अथवा अन्यथा, ऋण अंतरण के मामले में किसी भी रूप में क्रेडिट वृद्धि या चलनिधि सुविधाओं का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए।

16. एक ऋण अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता को अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक ऋण से जुड़े जोखिमों और प्रतिफल से तत्काल अलग किया जाना चाहिए, ।

अंतरणकर्ता द्वारा एक्सपोज़र में किसी भी धारित आर्थिक हित के मामले में, ऋण अंतरण समझौते को अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) के बीच अंतरित ऋण से मूलधन और ब्याज आय के वितरण को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि अंतरणकर्ता द्वारा धारित आर्थिक हित के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

17. अंतरिती (ओं) को अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक किसी भी अवरोधक शर्त से मुक्त ऋणों को अंतरित करने अथवा अन्यथा निपटाने का अबाधित अधिकार होना चाहिए।

(1) अंतरिती (ओं) के पास इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत को छोड़कर अंतरित आर्थिक हित से जुड़े किसी भी खर्च या नुकसान के लिए अंतरणकर्ता का कोई अवलंब नहीं होगा।

(2) इसके अतिरिक्त, अंतरणकर्ता/ अंतरिती (ओं) को अंतरिती(ओं)/अंतरणकर्ता, जैसा भी मामला हो, से सहमति प्राप्त करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब संबंधित इकाई द्वारा धारित या अंतरित किए गए लाभकारी आर्थिक हित के संबंध में समाधान या वसूली की बात आती है।

18. अंतरणकर्ता के पास ऋणों या उसके किसी भी भाग के पुनर्भुगतान को फिर से प्राप्त करने या निधि देने अथवा अंतरिती(ओं) द्वारा रखे गए ऋणों को प्रतिस्थापित करने या अंतरिती (ओं) को किसी भी समय अतिरिक्त ऋण प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं होगा, बशर्ते उन ऋणों के जो अंतरण के समय किए गए वारंटी या अभ्यावेदन के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं।
अंतरणकर्ता को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि इस आशय का एक नोटिस अंतरिती (ओं) को दिया गया है और अंतरिती (ओं) ने इस तरह के दायित्व की अनुपस्थिति को स्वीकार किया है।

19. जहां कहीं भी अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती (ओं) को लाभार्थियों के रूप में रखते हुए प्रतिभूति हित न्यास के रूप में धारित किया जाता है, वहां अंतरिती यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे

प्रतिभूति हित को समय पर लागू करने के लिए एक परस्पर सहमत और बाध्यकारी क्रियाविधि उचित रूप से प्रलेखित एवं स्थापित किया गया है। ।

20. अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा ऋणों का अंतरण अंतर्निहित उधारकर्ताओंके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उधारकर्ताओं (तीसरे पक्ष सहित) से सभी आवश्यक सहमति प्राप्त होनी चाहिए, जहां संबंधित अनुबंधों के अनुसार आवश्यक हो।

21. एक अंतरणकर्ता को भारिबैं (पर्यवेक्षण विभाग) को उन सभी उदाहरणों के बारे में सूचित करना चाहिए जहां उसने किसी अंतरिती को अंतरित ऋण को प्रतिस्थापित किया है अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान किया है।

22. आउटसोर्सिंग पर मौजूदा निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 के लागू प्रावधानों का सभी मामलों में अनुपालन किया जाएगा।

23. उन एक्सपोज़र के संबंध में जो इन निदेशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, अंतरिती (ओं) को प्राप्त वास्तविक एक्सपोज़र के बराबर पूंजीगत शुल्क बनाए रखना होगा। ऐसे मामलों में, अंतरणकर्ता अंतरित ऋण को पूरी तरह से मान्यता जारी रखेगा, जैसे कि इसे अंतरित नहीं किया गया था और प्राप्त प्रतिफल को अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाएगी।

24. बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बैंक पैरा 41 के अनुपालन में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनुमत अंतरणकर्ताओं को इस तरह के एक्सपोज़र को अंतरित कर सकते हैं।

बी. सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में अंतरणकर्ता

25. अंतरिती (ओं) अधिग्रहित एक्सपोज़र को प्रशासित या सर्विसिंग देने के लिए एक सर्विसिंग सुविधा प्रदाता को नियुक्त कर सकता है, जो अंतरणकर्ता भी हो सकता है, ।

26. यदि कोई बैंक, जिसमें एक अंतरणकर्ता भी शामिल है, ऋण अंतरण होने के बाद अंतरिती (ओं) के लिए एक सर्विसिंग सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हैं:

(1) सुविधा की प्रकृति, उद्देश्य, सीमा और निष्पादन के सभी आवश्यक मानकों को एक लिखित समझौते में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यह सुविधा बाजार के नियमों और शर्तों के आधार पर स्वतंत्र संव्यवहार आधार' पर प्रदान की जाती है।

(3) सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका से उत्पन्न होने वाले किसी भी शुल्क या अन्य आय का भुगतान इस तरह से स्थगित या छूट के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण वृद्धि या चलनिधि सुविधा प्रदान करेगा।

(4) सुविधा की अवधि उन तिथियों की सबसे शुरुआती तारीखेंतक सीमित है जिन पर:

(i) अंतर्निहित ऋण पूरी तरह से परिशोधित हैं;

(ii) अंतर्निहित ऋणों में अंतरिती (ओं) के आर्थिक हित से जुड़े सभी दावों का भुगतान किया जाता है; या

(iii) सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में ऋणदाता के दायित्वों को अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।

(5) ऋणदाता निश्चित संविदात्मक दायित्वों से परे कोई सहारा नहीं देना चाहिए।

(6) अंतरिती (ओं) को सर्विसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक पार्टी का चयन करने का स्पष्ट अधिकार है।

(7) बैंक को तब तक अंतरिती (ओं) को धन भेजने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न धन प्राप्त न हो जाए।

(8) बैंक अंतरिती (ओं) की ओर से, अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को विश्वास में रखेगा और अपने स्वयं के नकदी प्रवाह के साथ इन नकदी प्रवाहों के सह-मिश्रण से बचेगा।

बशर्ते कि यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो अंतरणकर्ता बैंक अंतरित ऋणों पर पूंजी बनाए रखेगा जैसे कि जिन ऋणों के संबंध में सर्विसिंग सुविधा प्रदान की जा रही है, वह सीधे उसकी खाता-बही पर रखे गए हों।

अध्याय III- दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण

ए.सामान्य अपेक्षाएं

27. इस अध्याय में दिए गए अनुदेशों में दबाव ऋणों के अंतरण (एआरसी को अंतरण के सहित) को शामिल किया जाएगा।

28. दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण केवल समनुदेशन अथवा नवीनीकरण द्वारा किया जाना चाहिए; दबावग्रस्त ऋणों के मामले में ऋण भागीदारी की अनुमति नहीं है।

29. दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण पर बैंकों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

(1) ऐसे ऋणों के अंतरण के लिए मानदंड और प्रक्रिया;

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए कि दबावग्रस्त ऋणों का वसूली योग्य मूल्य, जिसमें अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज की प्राप्ति भी शामिल है, यदि उपलब्ध है , उचित रूप से अनुमानित है;

(3) ऋणों के अंतरण पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन;

30. दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण संबंधी नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगी:

(1) अंतरण के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करने की प्रक्रिया, जैसा कि बैंक की नीति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का पालन करेगा, अर्थात, बैंक का प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय अंतरण के लिए दबावग्रस्त ऋणों की पहचान में सक्रिय रूप से शामिल होगा;

(2) कम से कम, बोर्ड/बोर्ड समिति द्वारा तय की गई प्रारंभिक राशि से अधिक एनपीए के रूप में वर्गीकृत सभी ऋणों की समय-समय पर बोर्ड/बोर्ड समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और दस्तावेजी युक्तिकरण के साथ, अंतरण या अन्यथा पर विचार किया जाएगा। अंतरण के लिए पहचाने गए ऋणों को अंतरण के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।

31. अंतरणकर्ताओं के पास अंतरित किए जाने वाले प्रस्तावित ऋण एक्सपोज़रो के मूल्यांकन के संबंध में स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए। आधार अथवा परिप्रेक्ष्य जो उपयोग किए गए मूल्यांकन - आंतरिक या बाहरी - के प्रकार को निर्धारित करेगा, नीति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

आंतरिक मूल्यांकन अभ्यास में अंतरणकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली छूट दर को भी पॉलिसी में वर्णित किया जाएगा। यह या तो इक्विटी की लागत या निधियों की औसत लागत या अवसर लागत या कुछ अन्य सुसंगत दर हो सकती है, जो संविदा ब्याज दर के स्तर के अधीन है। हालांकि, यदि क्रेडिट एक्सपोज़र (प्रावधानों के नेटिंग के बिना) जो अंतरित किया जा रहा है, जो एकल, संयुक्त अथवा अलग-अलग 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो अंतरणकर्ता को दो बाहरी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। मूल्यांकन अभ्यास, , बाहरी या अन्य, की लागत अंतरणकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

32. सामान्यत:, बैंक दबावग्रस्त ऋणों को, द्विपक्षीय बिक्री सहित, केवल अनुमत अंतरिती (ओं) और एआरसी को अंतरित करेगा।
33. अंतरण का तरीका अंतरणकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होना चाहिए। बैंक अपने ऋणों के अंतरण के लिए जहां भी उपलब्ध हो, ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं।
34. तथापि, जब द्विपक्षीय आधार पर समझौता किया जाता है, तो इस तरह के समझौते के बाद स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से नीलामी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए जहा अंतरित किए जा रहे ऋण मे उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं का कुल एक्सपोज़र (निवेश एक्सपोज़र सहित) 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है। अन्य सभी मामलों में, द्विपक्षीय वार्ता पैरा 29 में वर्णित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के भाग के रूप में अंतरणकर्ता द्वारा अपनाए गए मूल्य खोज और मूल्य अधिकतमकरण दृष्टिकोण के अधीन होगी, जिसमें स्विस चैलेंज विधि भी शामिल हो सकती है। स्विस चैलेंज पद्धति के लिए पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश पैरा 51से 53 में दिए गए हैं।
35. अंतरणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के बाद, वह अंतरित ऋणों से संबंधित किसी भी परिचालन, विधिक अथवा किसी अन्य प्रकार के जोखिम को ग्रहण नहीं करेगा, जिसमें अंतरित ऋण के संदर्भ में उधारकर्ता/अंतरिती (ओं) के लिए अतिरिक्त धन या प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इसके बाद, संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतरणकर्ता की नीति में निर्धारित कूलिंग अवधि के बाद उधारकर्ता पर नया एक्सपोज़र लिया जा सकता है, जो किसी भी स्थिति में, इस तरह के अंतरण की तारीख से 12 महीने से कम नहीं होगा।
36. अंतरणकर्ता को संभावित अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा समुचित सावधानी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए, जो ऋण के आकार के अनुसार भिन्न हो सकता है।

37. अंतरणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दबावग्रस्त ऋण का कोई अंतरण आकस्मिक मूल्य पर नहीं किया जाता है, जिससे सहमत मूल्य की प्राप्ति में कमी की स्थिति में, अंतरणकर्ता (ओं) को कमी का एक भाग वहन करना होगा।

38. अंतरणकर्ता केवल नकद आधार पर एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरणकर्ता को दबावग्रस्त ऋणों को अंतरित करेगा। संपूर्ण अंतरण प्रतिफल ऋण के अंतरण के समय या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए और ऋण को केवल संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर ही अंतरणकर्ता की बही से बाहर निकाला जा सकता है। यदि एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितीको अंतरण समय, अंतरण शुद्ध एनबीवी से नीचे की कीमत पर है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाएगा जिसमें अंतरण हुआ है। यदि बिक्री प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए है, तो अतिरिक्त प्रावधानों को प्रतिवर्ती दिया जा सकता है।

39. एआरसी के मामले में, इसके द्वारा अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों का आस्ति वर्गीकरण और बनाए रखे जाने वाले संबद्ध प्रावधानों को इस संबंध में उन पर लागू मौजूदा अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।

बी. एनपीए के अंतरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

40. अंतरणकर्ता अन्य ऋणदाताओं को अंतरित एनपीए के संबंध में मौजूदा निदेशों के अनुसार स्टाफ की जवाबदेही पहलुओं को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

सी. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को ऋण का अंतरण

41. भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों)निदेश, 2025 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी दबावग्रस्त ऋण जो अंतरणकर्ताओं की बही के चूक में हैं, उन्हें एआरसी को अंतरण करने की अनुमति है। इसमें अंतरण की तारीख को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण एक्सपोज़र शामिल होंगे, बशर्ते कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निरंतर रिपोर्टिंग, निगरानी, शिकायतों को दर्ज करने और ऐसी शिकायतों से संबंधित कार्यवाही के संबंध में अंतरणकर्ता की जिम्मेदारियों को भी एआरसी को अंतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, एआरसी को इस तरह के ऋण एक्सपोज़र का अंतरण, अंतरणकर्ता को धोखाधड़ी पर मौजूदा निदेशों के तहत आवश्यक स्टाफ की जवाबदेही तय करने से दोषमुक्त नहीं करता है।

42. विशिष्ट दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, जहां यह आवश्यक समझा जाता है, अंतरणकर्ता (ओं) संबंधित दबावग्रस्त ऋण से एआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी अधिशेष को सहमत अनुपात में साझा करने

के लिए एआरसी के साथ समझौता के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे मामलों में, अंतरण की शर्तों में ऋण से प्राप्त मूल्य पर एआरसी से अंतरणकर्ता(ओं) को एक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। अंतरणकर्ता (ओं) को लाभ के लिए तब तक लेखा नहीं होगा जब तक कि यह कार्यान्वित न हो जाए।

43. जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से नीचे की कीमत पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को नामे करेगा जिसमें अंतरण हुआ है। बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय अथवा अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है, जब अंतरण एनबीवी से नीचे की कीमत पर होता है।

44. दूसरी ओर, जब दबावग्रस्त ऋण को अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष में लाभ और हानि खाते में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्ती कर देगा जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल और/अथवा एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)/ अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण अथवा मोचन के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस तरह का प्रतिवर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है।

(1) पैरा 44 में निहित प्रावधानों के बावजूद, बैंक अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में पूरे अतिरिक्त प्रावधान [अर्थात बिक्री प्रतिफल (-) एनबीवी] को प्रतिवर्ती कर सकता है यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं।

बशर्ते कि, अतिरिक्त प्रावधान का गैर-नकद घटक [अर्थात अंतरण के समय प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान (-) नकद] टियर 1 पूंजी से काट लिया जाएगा, और इस घटक से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

45. एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में ऋणदाताओं द्वारा निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा, जो ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर होगा।

बशर्ते कि जब अंतरणकर्ता एआरसी को उनके द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करते हैं, तो अंतरणकर्ता अपनी बही में निवेश को निरंतर आधार पर रखेंगे, जब तक कि इसका अंतरण अथवा प्राप्ति नहीं हो जाती, एसआर के मोचन मूल्य, उपरोक्त एनएवी

के आधार पर जिसकी गणना की गयी हो, और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण का एनबीवी, दोनों मे जो कम हो /

46. यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों पर जारी किए गए एसआर में निवेश अंतरित संपत्ति पर जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बही पर एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम होगा:

(1) पैरा 45 के संदर्भ में प्राप्त मूल्य; और

(2) एसआर का अंकित मूल्य लागू होने वाली कल्पित प्रावधान दर से कम हो जाता है यदि ऋण अंतरणकर्ता की बही पर जारी रहता है।

बशर्ते कि 24 सितंबर 2021(विनिर्दिष्ट एसआर)की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की बही में बकाया एसआर में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में, निम्नलिखित उपाय लागू होंगे:

(i) इन निदेशों के जारी होने की तारीख के बाद अगली वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, इस खंड के संदर्भ में ऐसे एसआर के रखाव मूल्य और मूल्यांकन के बीच का अंतर 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली सात साल की अवधि में प्रदान किया जा सकता है – अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2027-28 तक। हालांकि, विनिर्दिष्ट एसआर के लिए पहले से किए गए किसी भी प्रावधान को बनाए रखा जाएगा।

(ii) हालांकि, ऐसे एसआर में निवेश का निरंतर आधार पर मूल्यांकन इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

(iii) संबंधित यूसीबी यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना तैयार करेंगे कि उपरोक्त उप-खंड (ए) के अनुपालन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया गया प्रावधान इस मामले में आवश्यक प्रावधान के पांचवें भाग से कम नहीं है।

(iv) इन निदेशों के जारी होने के बाद सभी ऋणदाताओं द्वारा एसआर में किए गए निवेश का मूल्यांकन इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

47. (1) पैरा 46 में निहित प्रावधानों या पैरा 45 के परंतुक के बावजूद, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

(2)हालांकि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त किसी भी अप्राप्त लाभ को टियर 1 पूंजी से काट लिया जाएगा, और ऐसे अप्राप्त लाभ में से किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया किसी भी एसआर का मूल्य ₹1 होगा।

(4) समाधान के रूप में एसआर को किसी अन्य प्रकार के उपकरणों में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में, ऐसे उपकरणों के लिए मूल्यांकन और प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान), निदेश, 2025 के तहत निर्धारित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

48. एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात्उ , पांच साल या आठ साल, जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं जाता है, उन्हें ऋणदाता की बही में हानि आस्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा।

49. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉन्ड/एसआर/पीटीसी में ऋणदाता के निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त लिखतों में से कोई भी संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

50. जहां शुल्क के बदले वसूली के लिए एजेंटों के रूप में एआरसी द्वारा दबावग्रस्त ऋणों को लिया जाता है, वहां ऋणों को अंतरणकर्ताओं की पुस्तकों से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन प्राप्त होने पर प्राप्तियों को ऋण खातों में जमा कर दिया जाएगा। अंतरणकर्ता सामान्य रूप से ऋण के लिए प्रावधान करना जारी रखेंगे।

डी. स्विस चैलेंज विधि के द्वारा मूल्य खोज

51. पैरा 34 के तहत आवश्यकताओं के अधीन, बैंक अपने दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के लिए स्विस चैलेंज विधि को अपनाने पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करेगा।

(1) नीति में उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके तहत बैंक स्विस चैलेंज पद्धति का विकल्प चुन सकते हैं, जो आधार-बोली (पैरा 53 में विनिर्दिष्ट के रूप में) में ऋणदाता (ओं) द्वारा आवश्यक हेयर कट की सीमा के लिए सहिष्णुता सीमा जैसे मापदंडों पर आधारित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, या बैंक (ओं) के बोर्ड द्वारा पहचाने गए किसी भी उद्देश्य पैरामीटर।

(2) नीति में बैंक (बैंकों) द्वारा विचार की जाने वाली चुनौती देने वाली बोली (पैरा 53 में विनिर्दिष्ट है) के लिए आवश्यक आधार-बोली पर न्यूनतम मार्क-अप भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में, पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा और 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए, मार्क-अप चैलेंजर बोली और आधार-बोली के बीच का अंतर होगा जिसे आधार-बोली के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा।

52. निरंतर आधार पर, बैंक को उन दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें अंतरण के लिए पेश किया जाएगा और ऐसे ऋणों की एक प्रमाणित सूची ऋणदाताओं द्वारा रखी जाएगी। सूची का खुलासा ऋणदाता के विवेक पर गोपनीयता समझौते में प्रवेश करने पर संभावित बोलीदाता को किया जा सकता है।

53. स्विस चैलेंज पद्धित की व्यापक रूपरेखा इस प्रकार है:

(1) एक विशिष्ट दबावग्रस्त ऋण प्राप्त करने में रुचि रखने वाला एक संभावित अंतरिती बैंक (बैंकों) को बोली की पेशकश कर सकता है, जिसे आधार-बोली कहा जाएगा।

(2) बैंक तब सार्वजनिक रूप से अन्य संभावित खरीदारों से काउंटर बोलियां आमंत्रित करेगा, तुलनीय शर्तों पर, आधार-बोली के आवश्यक तत्वों का खुलासा करके और स्पष्ट रूप से न्यूनतम मार्क-अप (जैसा कि पैरा 51 में विनिर्दिष्ट है) को निर्दिष्ट करेगा जो स्वीकार्य होगा।

(3) यदि कोई काउंटर बोली आमंत्रण में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्क-अप को पार नहीं करती है, तो आधार-बोली विजेता बोली बन जाती है।

(4) यदि काउंटर बोली आमंत्रण में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्क-अप को पार कर जाती है, तो उच्चतम काउंटर बोली चैलेंजर बोली बन जाती है। आधार-बोली प्रदान करने वाले संभावित अंतरिती को फिर चैलेंजर बोली के बराबर बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि आधार-बोली प्रदान करने वाला संभावित अंतरिती या तो चैलेंजर बोली से मेल खाता है या चैलेंजर बोली से अधिक बोलियां लगाता है, तो ऐसी बोली विजेता बोली बन जाएगी; अन्यथा, चैलेंजर बोली जीतने वाली बोली होगी।

(5) इसके बाद बैंक के पास निम्नलिखित दो विकल्प होंगे:

i. ऋण को विजेता बोलीदाता को अंतरित करें, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है;

ii. यदि बैंक विजेता बोलीदाता को ऋण अंतरित नहीं करने का निर्णय लेता है, तो बैंक को निम्नलिखित में से अधिक की सीमा तक खाते पर तत्काल प्रावधान करने की आवश्यकता होगी:

ए.चैलेंजर बोली में उद्धृत पुस्तक मूल्य पर छूट, और

बी.मौजूदा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान ।

ई. **प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग**

54.बैंकों को सभी प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

55.बैंक इन निर्देशों के तहत किए गए प्रत्येक ऋण अंतरण लेनदेन की सूचना रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित व्यापार रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को देंगे। इस संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इसकी प्रत्याशा में, बैंक प्रत्येक लेनदेन से संबंधित पर्याप्त एमआईएस के साथ ऋण अंतरण लेनदेन का एक डेटाबेस बनाए रखेगा जब तक कि रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को अधिसूचित नहीं किया जाता है और संबंधित निदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

भाग बी – अन्य प्रकार के उधार और जोखिम अंतरण की व्यवस्था

अध्याय I – संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाएं के तहत ऋण

56. बैंक परिचालन पहलुओं पर आवश्यक बुनियादी नियम तैयार करके एकल बैंक, बहु बैंक, संघीय अथवा समूहन दृष्टिकोण अपनाने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि विकसित कर सकते हैं।

बैंक कई ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के बारे में अपनी सूचना बैक-अप को निम्नानुसार मजबूत करेंगे:

(1) नई सुविधाएं प्रदान करते समय, बैंक उधारकर्ताओं से अनुबंध I में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अन्य ऋणदाताओं से पहले से प्राप्त ऋण सुविधाओं के बारे में घोषणा प्राप्त करेगा। मौजूदा बैंकों के मामले में, सभी बैंक अपने मौजूदा उधारकर्ताओं से पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का लाभ उठाने के लिए घोषणा की मांग करेंगे, यह उनकी जानकारी में है कि उनके उधारकर्ता अन्य ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और अन्य ऋणदाताओं के साथ सूचना के आदान-प्रदान की एक प्रणाली शुरू करेंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(2) तदोपरांत, उधारकर्ताओं के खातों के संचालन के बारे में अन्य ऋणदाताओं (संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत भाग लेने वाले आरई) के साथ कम से कम तिमाही अंतराल पर अनुबंध II में दिए गए प्रारूप में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।

(3) बैंक अनुबंध III में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रचलन में आने वाले विभिन्न सांविधिक निदेश के अनुपालन के संबंध में एक पेशेवर, अधिमानतः कंपनी सचिव/लागत लेखाकार/सनदी लेखाकार द्वारा नियमित प्रमाणन प्राप्त करेगा।

(4) इसके साथ, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट सूचना कंपनी) निदेश, 2025 के तहत सूचीबद्ध क्रेडिट सूचना कंपनियों से उपलब्ध क्रेडिट रिपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करेगा।

(5) बैंक भविष्य में ऋण करार में उपयुक्त खंडों को भी शामिल करेगा (मौजूदा सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण जानकारी के आदान-प्रदान के संबंध में ताकि गोपनीयता के मुद्दों को हल किया जा सके।

57. इसके साथ, सबसे अधिक निवेश वाले संघीय अग्रणी/बैंक की संस्थाओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की निगरानी में प्रमुख भूमिका होगी।

भाग सी : निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

58. इन निदेशों के जारी होने के साथ, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू ऋण जोखिम के अंतरण और वितरण से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

59. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के तहत की गई अथवा की गई अथवा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों अथवा स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा अभिशासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित अथवा उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय स्थापित, जारी अथवा लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती अथवा सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

60. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

61. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम

और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध ।

बहु-बैंकिंग व्यवस्था के तहत वित्त के लिए संपर्क हेतु ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा बैंकों को न्यूनतम सूचना घोषित की जाएगी

ए. अन्य बैंकों से ऋण लेने की व्यवस्था का विवरण

(संस्था-वार और सुविधा-वार)

I.	**बैंक/संस्था का नाम और पता**	
II.	**सुविधाओं का लाभ** लेना	
ए.	***निधि-आधारित क्रेडिट सुविधाएं*** (सुविधाओं की प्रकृति जैसे कार्यशील पूंजी/मांग ऋण/सावधि ऋण/अल्पकालिक ऋण)/विदेशी मुद्रा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण/ऋण व्यवस्था/श्रृंखलाबद्ध वित्तपोषण, भुनाए गए बिल आदि राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
बी.	***डेरिवेटिव के अतिरिक्त गैर-निधि-आधारित सुविधाएं*** (सुविधाओं की प्रकृति जैसे एल/सी, बीजी, डीपीजी (आई एंड एफ) आदि राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
सी.	***बैंक के साथ किए गए डेरिवेटिव अनुबंध*** (अनुबंध की प्रकृति, परिपक्वता, राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
III.	**स्वीकृति की तिथि**	
IV.	**वर्तमान बकाया** (डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में, ऋणात्मक एमटीएम अर्थात जो निपटान के लिए देय नहीं है, को दर्शाया जाए)	

V.	**अतिदेय स्थिति, यदि कोई है** (डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में, ऋणात्मक एमटीएम यानी अनुबंध के तहत बैंक को देय राशि, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है को दर्शाया जा सकता है)	
VI.	**चुकौती की शर्तें** (मांग ऋण, सावधि ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, परियोजनावार वित्त के लिए)	
VII.	**प्रतिभूति प्रस्तुत** (परियोजनावार वित्त/जुटाए गए ऋण और वैयक्तिक/कॉर्पोरेट गारंटी के लिए सौंपे गए विशिष्ट नकदी प्रवाह सहित प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों प्रतिभूति का पूरा विवरण)	
VIII.	**उन सुविधाओं के लिए अनुरोध जो प्रक्रियाधीन हैं**	
[वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी से घरेलू और विदेशी ऋण के लिए दी जाने वाली जानकारी]		

बी. विविध विवरण

(करोड़ रुपये में)

I.	वर्ष के दौरान जुटाए गए सीपी और वर्तमान बकाया	
II.	बैंकिंग प्रणाली के बाहर वित्तपोषण का विवरण जैसे एल/सी भुनाए गए बिल	
III.	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की राशि (कृपया नीचे दिए गए प्रारूप में मुद्रा-वार स्थिति दें)	
(i)	*अल्पकालिक एक्सपोज़र (एक वर्ष से कम)*	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल अल्पकालिक एक्सपोज़र (ए-बी)	

(ii)	*दीर्घावधि एक्सपोज़र (एक वर्ष और उससे अधिक)*	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल दीर्घावधि एक्सपोज़र ए-बी)	
(iii)	प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (i-ii)	
(iv)	सभी मुद्राओं के लिए समग्र निवल स्थिति	
III.	स्थानों के साथ मुख्य और संबद्ध गतिविधियाँ	
IV.	बिक्री और बाजार हिस्सेदारी का क्षेत्र	
V.	बैंक की आवश्यकता के अनुसार जहां भी लागू हो, डीएससीआर अनुमानों सहित वित्तीय पहलुओं का विवरण - महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध, यदि कोई , अन्य ऋणदाताओं के साथ सहमत/स्वीकार किए गए हैं।	
VI.	सीआईडी खातों, वित्तपोषण बैंकों में/बाहर संचालित किया जा रहा है, यदि कोई हो,	
VII.	सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मांगें/उनकी वर्तमान स्थिति	
VIII.	लंबित मुकदमें	
IX.	बैंक को अन्य वित्तपोषण बैंकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करने वाली घोषणा	

अनुबंध II

क्रेडिट सूचना विनिमय के लिए प्रारूप

भाग – I
कंपनी का बायो डेटा

I.	उधार लेने वाले पक्ष का नाम और पता		
II.	संविधान		
III.	निदेशकों/भागीदारों के नाम		
IV.	व्यावसायिक कार्यकलाप		
	*	मुख्य	
	*	संबद्ध	
V.	अन्य वित्तपोषण करने वाले बैंकों के नाम		
VI.	निदेशकों/भागीदारों की मालियत		
VII.	समूह संबद्धता, यदि कोई हो		
VIII.	सहयोगी प्रतिष्ठान पर तिथि, यदि एक ही बैंक के साथ बैंकिंग		
IX.	पिछली रिपोर्ट के बाद से शेयरधारिता और प्रबंधन में हुए परिवर्तन, यदि कोई		

भाग - II
प्रमुख क्रेडिट गुणवत्ता संकेतक

I.	आईआरएसी वर्गीकरण	
II.	कथन के साथ आंतरिक क्रेडिट रेटिंग	
III.	बाहरी क्रेडिट रेटिंग, यदि कोई	
IV.	उधारकर्ता की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट	--------------- की स्थिति के अनुसार

भाग – III

डेरिवेटिव के अतिरिक्त एक्सपोजर विवरण

(रुपये करोड़ में)

I.	ऋण सुविधाओं का प्रकार, जैसे कार्यशील पूंजी ऋण/मांग ऋण/सावधि ऋण/अल्पकालिक ऋण/विदेशी मुद्रा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण / ऋण व्यवस्था/शृंखलाबद्ध वित्तपोषण, एलसी, बीजी और डीपीजी (आई एंड एफ) आदि जैसी आकस्मिक सुविधाएं। इसके अतिरिक्त, एल/सी बिलों में छूट/परियोजनावार वित्त का लाभ लिए जाने का उल्लेख करें।	
II.	ऋण का उद्देश्य	
III.	ऋण सुविधाओं की तिथि (अस्थायी सुविधाओं सहित)	
IV.	स्वीकृत राशि (सुविधा वार)	
V.	शेष राशि बकाया (सुविधा के अनुसार)	
VI.	चुकौती की शर्तें	
VII.	प्रतिभूति की पेशकश	
	*	प्राथमिक
	*	संपार्श्विक
	*	वैयक्तिक/कॉर्पोरेट गारंटी
	*	नकदी प्रवाह पर नियंत्रण की सीमा
VIII.	सावधि प्रतिबद्धताओं/पट्टा किराय /अन्य में चूक	
IX.	कोई अन्य विशेष जानकारी जैसे अदालती मामले, सांविधिक बकाया, प्रमुख चूक, प्रतिकूल आंतरिक / बाहरी लेखा परीक्षा टिप्पणियां	

भाग - IV

एक्सपोज़र विवरण - डेरिवेटिव लेनदेन

(रुपये करोड़ में)

क्र.संख्या.	डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति	संविदाएं की कल्पित राशि	संविदाएं की भारित औसत परिपक्वता	बैंक के सकारात्मक एमटीएम की राशि (निपटान के लिए देय नहीं है)	संविदाएं की राशि एनपीए के रूप में वर्गीकृत	कल्पित बकाया संविदाएं की राशि जिनकी पुन:संरचना की गई है	पुन:संरचना का मुख्य कारण (संक्षेप में)
ए.	बिल्कुल सादा संविदाएं						
1.	विदेशी मुद्रा अग्रिम संविदाएं						
2.	ब्याज दर अदला-बदली						
3.	विदेशी मुद्रा आप्शंस						
4.	कोई अन्य संविदाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)						
बी.	लागत में कमी/शून्य लागत संरचनाओं के रूप में डिजाइन किए गए विभिन्न प्रकार के आप्शंस संयोजनों सहित जटिल डेरिवेटिव						
1.	ऐसी संविदाएं जिनमें <u>केवल</u> ब्याज दर						

	डेरिवेटिव शामिल हों						
2.	**विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव से जुड़े अन्य संविदाएं सहित**						
3.	**कोई अन्य संविदाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)**						

भाग – V

मुद्रा-वार विवरण के साथ उधारकर्ता के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का विवरण

(रुपये करोड़ में)

I	**अल्पकालिक एक्सपोज़र (एक वर्ष से कम)**	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल अल्पकालिक एक्सपोज़र (ए-बी)	
II	**दीर्घावधि एक्सपोज़र (एक वर्ष और उससे अधिक)**	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल दीर्घावधि एक्सपोज़र ए-बी)	
III	**प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (I-II) (कृपया प्रत्येक मुद्रा के लिए इस प्रारूप में समग्र निवल स्थिति दें)**	
IV	**सभी मुद्राओं के लिए समग्र निवल स्थिति**	

भाग – VI

उधारकर्ता के साथ अनुभव

I.	वित्त पोषित सुविधाओं का संचालन (नकदी प्रबंधन/अधि-आहरण की प्रवृत्ति के आधार पर)	
II.	आकस्मिक सुविधाओं का संचालन (भुगतान इतिहास के आधार पर)	
III.	वित्तीय प्रसंविदा का अनुपालन	
IV.	कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं	
V.	प्रबंधन की गुणवत्ता	
VI.	समग्र मूल्यांकन	
(उपरोक्त को केवल अच्छा, संतोषजनक अथवा समान से नीचे दर्जा दिया जाना चाहिए)		
(*) इस मद के तहत टिप्पणियों को शामिल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं		

भाग - VI के अंतर्गत टिप्पणियों को शामिल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का (अनुभव)

			अच्छा	**संतोषजनक**	**समान से नीचे**
I.	**वित्त पोषित सुविधाओं का संचालन**				
	*	अधि-आहरण (संख्या)	4 बार तक	5 से 6 बार	6 बार से ऊपर
	*	समायोजन की औसत अवधि	1 महीने के भीतर	2 महीने के भीतर	2 महीने से अधिक
	*	अधि-आहरण की सीमा (सीमा का%)	10% तक	10 से 20%	20% से ऊपर
II.	**आकस्मिक सुविधाओं का संचालन (डेरिवेटिव के अतिरिक्त)**				
	*	चूक की संख्या	2 बार तक	3 से 4 बार	4 बार से ऊपर
	*	समायोजन की औसत अवधि	1 सप्ताह के भीतर	2 सप्ताह के भीतर	2 सप्ताह से अधिक
III	**डेरिवेटिव लेनदेन का संचालन**				
	*	ऐसे संविदाएं की संख्या जहां बैंक के सकारात्मक एमटीएम मूल्य 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा	संविदाएं की कुल संख्या का <25%	संविदाएं की कुल संख्या का 25-50%	> संविदाएं की कुल संख्या का 50%

	*	ऐसे संविदाएं की संख्या जहां बैंक के देय सकारात्मक एमटीएम मूल्य 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा और खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना था (लेकिन बाद में नियमित किया गया और सूचना के आदान-प्रदान की तारीख को एनपीए नहीं है) नोट: सभी मामले जहां किसी भी संविदाएं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सूचना के आदान-प्रदान की तारीख तक एनपीए बना हुआ है, उन्हें दिखाया जाना चाहिए समान से नीचे)	संविदाएं की कुल संख्या का <1%	संविदाएं की कुल संख्या का 1-5%	संविदाएं की कुल संख्या का >5%
	*	सुसंगत अवधि के दौरान पुनर्संरचित संविदाएं की संख्या	संविदाएं की कुल संख्या का <25%	संविदाएं की कुल संख्या का 25-50%	संविदाएं की कुल संख्या का >50%
IV.	**वित्तीय प्रसंविदा का अनुपालन**				
	*	स्टॉक विवरण/वित्तीय डेटा	समय से	15 दिनों तक की देरी	15 दिनों से अधिक की देरी
	*	ऋण-भार सृजित करना	तुरन्त	2 महीने तक की देरी	2 महीने से अधिक की देरी
V.	**कंपनी की आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ**				
	*	इन्वेंटरी प्रबंधन	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद नहीं हैं
	*	प्राप्य राशियां प्रबंधन	- यथा -	- यथा -	- यथा -
	*	संसाधन आवंटन	- यथा -	- यथा -	- यथा -

	*	जानकारी पर नियंत्रण	- यथा -	- यथा -	- यथा -
VI.	**प्रबंधन की गुणवत्ता**				
	*	अखंडता	भरोसेमंद	कुछ भी प्रतिकूल नहीं	पिछले कॉलम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता
	*	विशेषज्ञता क्षमता/प्रतिबद्धताएं	पेशेवर और दूरदर्शी	आवश्यक अनुभव है	- यथा -
	*	ट्रैक रिकॉर्ड	समय से	निष्पादन /	- यथा -

अनुबंध III

भाग : I

सावधानी रिपोर्ट

प्रेषिती,

प्रबंधक,

_________________ (बैंक का नाम)

मैंने/हमने ___________ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, के उन सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, मैंने/हमने कंपनी के संस्था ज्ञापन और संस्था अंतर्नियम में निहित प्रावधानों, विभिन्न लागू सांविधिक प्रावधानों, और मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के साथ कंपनी के सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, यदि कोई हों, की .... को समाप्त होने वाली छमाही के लिए जांच की है। मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, किए गए परीक्षण और कंपनी, उसके अधिकारियों तथा एजेंटों द्वारा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं/हम उपरोक्त अवधि के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं::

1. कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो अनुबंध में सूचीबद्ध है ...., और बोर्ड का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में हुए निम्नलिखित परिवर्तन अनुबंध में सूचीबद्ध हैं ...., और इस तरह के परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के समुचित अनुपालन में किए गए हैं।

2. ------- की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप अनुबंध .... में दिया गया है:

   समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में हुए परिवर्तनों का विवरण अनुबंध....... में दिया गया है:

3. कंपनी ने निम्नलिखित प्रावधानों में बदलाव किया है

   (i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के ज्ञापन और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्था के अंतर्नियम और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4. कंपनी ने व्यावसायिक संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है जिसमें कंपनी के निदेशकों हितबद्ध थे, जैसा कि अनुबंध में बताया गया है..... .

5. कंपनी ने अपने निदेशकों और/अथवा व्यक्ति अथवा फर्मों अथवा कंपनियों को अग्रिम ऋण, गारंटी और ___________ रुपये की प्रतिभूतियां प्रदान की हैं, जिनमें निदेशक हितबद्ध थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया है।

6. कंपनी ने ऋण और निवेश किया है; अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को गारंटी अथवा प्रतिभूतियां प्रदान की गई हैं जैसा कि अनुबंध में वर्णित है ....और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

7. कंपनी द्वारा अपने निदेशकों, सदस्यों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य लोगों से उधार ली गई राशि कंपनी की उधार सीमा में थी। इस तरह के उधार कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन में किए गए थे। कंपनी के घरेलू ऋणों का विवरण अनुबंध ..... में दिया गया है :

8. कंपनी ने जनता की जमाराशियों, गैर- जमानती ऋणों, डिबेंचरों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दी गई सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

9. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों पर अनुबंध के विवरण अनुसार ऋण-भार सृजित, संशोधित अथवा भार मुक्त किया है। कंपनी द्वारा विदेशों में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश का ब्यौरा अनुबंध ...... में दिया गया है

10. .... की स्थिति के अनुसार कंपनी के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र और विदेशी ऋण का मूलधन मूल्य का विवरण अनुबंध में नीचे दिए गए अनुसार"

11. कंपनी ने इसके हकदार व्यक्तियों को प्रतिभूतियां जारी और आवंटित की हैं और संबंधित व्यक्तियों पर जारी पत्र, कूपन, वारंट और प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य सुसंगत संविधियों के प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित समय के भीतर अधिमान शेयरों/डिबेंचरों का मोचन किया है और अपने शेयरों को वापस खरीद लिया है।

12. कंपनी ने अपनी सभी जमानती संपत्तियों का बीमा किया है।

13. कंपनी ने किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के समय और सुविधा की अवधि के दौरान ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

14. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने शेयरधारकों को लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

15. कंपनी ने अपनी सभी परिसंपत्तियों का पूरी तरह से बीमा किया है।

16. कंपनी और अथवा उसके किसी निदेशक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची में नहीं आता है।

17. कंपनी और अथवा उसके किसी भी निदेशक का नाम निर्यात ऋण गारंटी निगम की विशिष्ट अनुमोदन सूची में दिखाई नहीं देता है।

18. कंपनी ने अपने सभी सांविधिक देय राशियों का भुगतान कर दिया है और ऐसे किसी भी बकाये के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

19. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों का उपयोग कंपनी द्वारा उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें उधार लिया गया था।

20. कंपनी ने अपने अंतर-कंपनी ऋणों और निवेशों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 372ए में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

21. निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से यह देखा गया है कि कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है।

22. कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में सभी अवितरित लाभांश तथा जमा किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य सभी राशियां जमा और भुगतान की हैं।

23. विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के तहत कथित चूक/अपराधों के लिए कंपनी के विरुद्ध शुरू किए गए अभियोजन अथवा कंपनी द्वारा प्राप्त कारण बताओ नोटिस और कंपनी पर लगाए गए जुर्माने और दंड तथा ऐसे मामलों में कंपनी और/अथवा उसके

निदेशकों के विरुद्ध शुरू की गई किसी अन्य कार्रवाई का विवरण अनुबंध में दिया गया है..... .

24. कंपनी ने (एक सूचीबद्ध इकाई होने से) सूचीबद्ध करार के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

25. कंपनी ने भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया है।

नोट: योग्यता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से ऊपर सुसंगत पैरा में कहा गया है।

स्थान — हस्ताक्षर

दिनांक — कंपनी सचिव / फर्म का नाम

सी.पी.सं.:

भाग II:

<u>सनदी लेखाकार /कंपनी सचिवों/लागत लेखाकारों द्वारा उधार कंपनियों के प्रमाणन</u>

i. बैंकों द्वारा स्टॉक लेखापरीक्षा के लिए विचारार्थ विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि सनदी लेखाकार ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

ii. यदि उधार दी गई निधियों का अंतिम उपयोग सत्यापन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो बैंकों के लिए सुविधाजनक होगा।

iii. बैंक चूंकि अक्सर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ लेनदेन करते हैं, इसलिए एक विशिष्ट आवर्त से ऊपर की ऐसी कंपनियों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कंपनियों के समान बनाया जाएगा, जैसे समेकित तुलनपत्र, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग आदि। बड़ी शेयरधारिता की जानकारी भी उपयोगी होगी।

iv. इसके साथ, सनदी लेखाकार अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणन पर भी विचार किया जाएगा: -

(ए) कंपनी के निदेशक चूककर्ताओं की सूची (आरबीआई/ईसीजीसी/इरादतन चूककर्ताओं की सूची आदि) में शामिल नहीं हैं।

(बी) विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से ऊपर मुकदमे का विवरण।

(सी) कंपनी अधिनियम की धारा 372 (ए) के अनुपालन के संबंध में संभवत: कंपनी सचिव से विशिष्ट प्रमाण पत्र।

(डी) कंपनी की आस्तियों पर प्रभारों के सृजन/संशोधन/प्रभार की संतुष्टि का विवरण, बीमा के संबंध में स्थिति, कारण बताओ नोटिस, जुर्माने और दिए गए दंड का विवरण।

v. जहां तक लेखापरीक्षक के आवर्तन का संबंध है, परिचालन सुविधा के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें 3 साल के स्थान पर प्रत्येक 5 साल में एक बार बदला जाएगा।

vi. संकेंद्रण रोकने के लिए समूह कंपनियों के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार होने की स्थिति में अलग-अलग सांविधिक/आंतरिक लेखापरीक्षक होंगे।